न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—23/2016/223 (2016/00023)

1. शिवराज पुत्र छीतर,
2. श्रीमती सीता पत्नि स्व0 लालाराम,
3. महेन्द्र पुत्र शिवराज,
4. काली पत्नि शिवराज,
5. सीमा पुत्री स्व0 शिवराज,

समस्त जाति जाट, नि0 ग्राम जसवन्तपुरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. अमरा पुत्र हीरा, जाति जाट, नि0 ग्राम जसवंतपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 5.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 27/2015.

उपस्थितः—

1. श्री माधवलाल एवं श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री जमील जई, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—25.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 अमरा ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 183 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जसवंतपुरा, तहसील नसीराबाद के खाता संख्या 4/5 व 6 के खसरा नंबर 900 रकबा 0.1000 है0 भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिसका पूर्व में खसरा नंबर 903 तथा पश्चिम में आबादी क्षैत्र आ जाता है तथा प्रतिवादी का कोई बाड़ा अवस्थित नहीं है तथा कुछ स्थान पर बाउण्ड्री वाल व मार्गाधिकार भी अवस्थित हैं। विवादित भूमि की उपरोक्त भोगोलिग स्थिति को फायदा उठाकर प्रतिवादी वादी की संपूर्ण भूमि के खेत पर कब्जा करने की नियत से खसरा नंबर 900 पर चारा इत्यादि डालकर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया है । अतः वाद वादी स्वीकार कर खसरा नंबर 900 जो नया खाता संख्या 4 व पुराना 5 रकबा 0.10 है0 का रिक्त भौतिक कब्जा प्रतिवादी से मुक्त कराया जाकर वादी को दिलाया जावे तथा वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय निर्णय व डिक्री

दिनांक 5.6.2015 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 अपीलांट/प्रतिवादी को कोई नोटिस वास्ते जवाबदावा व साक्ष्य हेतु जारी न कर एकतरफा में बिना किसी साक्ष्य के वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 7.5.2015 की आदेशिका भी गैर कानूनी रूप से निर्णय दिनांक 5.6.2015 का निर्णय पारित करने के उपरांत लिखी गई है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 अपीलांट को बिना नोटिस तामील कराये तथा साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये कैम्प में प्रकरण को निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2015 की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त निर्णय व डिक्री अपीलांट को नोटिस तामील कराये बिना एकतरफा में पारित किया गया है जिससे समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.12.2015 को विपक्षी अमरा द्वारा मौके पर आकर अपीलांट को कब्जा खाली करने हेतु कहे जाने पर हुई तत्पश्चात् अपीलांट ने निर्णय व डिक्री की जानकारी कर, नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट द्वारा रेस्पो0 की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से रेस्पो0 संख्या 1 ने वाद पेश किया था । रेस्पो0 विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसकी भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किये जाने पर बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 16.3.2015 को वाद दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित किये तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.4.2015 नियत की । इसके बाद दिनांक 30.4. 2015 को पत्रावली में सील लगाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 7.5.

2015 नियत की गई । दिनांक 7.5.2015 की आदेशिका में पत्रावली को दिनांक 5.6.2015 को कैम्प कोर्ट लोहरवाड़ा में रखा जाना अंकित किया गया है किन्तु उक्त आदेशिका से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आदेशिका निर्णय दिनांक 5.6.2015 के बाद लिखी गई है । पत्रावली के अवलोकन से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलांट/प्रतिवादी को जारी नोटिस कब तामील हुए तथा पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखे जाने बाबत् अपीलांट को कब नोटिस जारी किये गये । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट को सम्मन/नोटिस तामील हुए बिना अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 की एकतरफा बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारान के हित निहित हो वहां पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 25.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर